पंजाब राज्य व अन्य

बनाम

अरुण कुमार अग्रवाल व अन्य

4 मई, 2007

[एच. के. सेमा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

सेवा कानूनः

पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 1941: नियम 3,5 और 19, पदोन्नति- एस.डी.ओ.-पुराने 1941 नियम या नए 2004 नियम-20 जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा धारकों (उत्कृष्ट श्रेणी) की प्रयोज्यता दी गई थी। एस. डी. ओ. एस. के प्रभार की देखभाल के लिए वर्तमान शुल्क शुल्क (सी. डी. सी.)-सी. डी. सी. को 1941 के नियमों के नियम 5 के प्रावधान के तहत दिया गया था, जो उक्त नियमों के नियम 3 में उल्लेखित अहर्ताओं को धारण नहीं करते थे। सी. डी. सी. को बाद में वापस ले लिया गया-डिप्लोमा धारकों (उत्कृष्ट श्रेणी) द्वारा विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं-यह तर्क दिया गया नियमित जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा - सी. डी. सी. प्राप्त करने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा बकाया रिपोर्टों में छेड़छाड़/चरण प्रबंधन के लिए पंजीकृत किया गया था और जो अभी लम्बित है -1941 के नियमों को 2004 के नियमों द्वारा निरस्त कर दिया गया था-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी और कहा कि चूंकि 1941 के नियमों के तहत रिक्तियां उत्पन्न हुईं, इसलिए उन्हें 1941 के नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए और अपीलकर्ता को विभिन्न तिथियों पर जारी सरकारी निर्देशों के तहत पदों को भरने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि रिक्तियों को उत्कृष्ट योग्यता के निर्धारण

के लिए निर्देशों के तहत इंगित मानदंडों का पालन करके भरा जाना चाहिए अभिनिर्धारित किया। डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं (उत्कृष्ट श्रेणी) को वर्तमान शुल्क प्रभार देने के आधार पर एस.डी.ओ. के पद पर नियमित किये जाने का कोई अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। (सी. डी. सी.) पद में नियमितीकरण के लिए एस. डी. ओ. के पद पर-यह विशुद्ध रूप से एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, जो न तो वरिष्ठता पर आधारित थी और न ही दक्षता और न ही कोई वादहेतुक उसको प्रत्याहृति किये जाने से उत्पन्न होता। जिस तरह से डिप्लोमा धारकों द्वारा उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे, वह गंभीर चिंता का विषय है-सरकार ने पुराने नियमों के तहत रिक्तियों को नहीं भरने का एक जाग्रत निर्णय लिया है और इस तरह का निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैध रूप से लिया गया है-इस फैसले की तारीख से तीन माह के भीतर-राज्य सरकार 2004 के नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया जाता है-उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया-पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 2004।

उत्तरदाता डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियर थे। 20 जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा धारक (उत्कृष्ट श्रेणी) को एस.डी.ओ. का कार्य देखने हेतु सी. डी. सी. दिया गया था। पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियमों, 1941 के नियम 5 के परन्तुक के अधीन दिलायी थी जिनके पास अन्यथा नियम 3 के तहत निर्दिष्ट योग्यताएं नहीं थीं। सी. डी. सी. को बाद में प्रत्याहृति किया गया।

डिप्लोमा धारकों (उत्कृष्ट श्रेणी) ने विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की। सीडीसी को वापस लेने के फैसले का समर्थन करने के लिए कई आधारों का हवाला दिया गया था। एक ऐसा आधार यह था कि राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा सी. डी. सी. प्राप्त करने के लिए जूनियर इंजीनियरों द्वारा बकाया रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़/चरण-प्रबंधन के लिए

एक नियमित जांच दर्ज की गई थी और जांच अभी लंबित थी। 1941 के नियमों को पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 2004 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया कि चूंकि 1941 के नियमों के तहत रिक्तियां उत्पन्न हुईं, उन्हें 1941 के नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए और अपीलार्थी को विभिन्न तिथियों पर जारी सरकारी निर्देशों के तहत पदों को भरने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रिक्तियों को उत्कृष्ट योग्यता के निर्धारण के लिए निर्देशों के तहत बताए गए मानदंडों का पालन करके भरा जाना चाहिए। इसलिए अपील प्रस्तुत की गयी।न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्नों का उद्वव हुआ-

(1) क्या डिप्लोमा धारकों (उत्कृष्ट श्रेणी) को दिनांक 21.06.2001 के आदेश से वर्तमान कर्तव्य प्रभार दिये जाने से एस.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति का कोई अधिकार प्राप्त हुआ और क्या उक्त आदेश को दिनांक 22.06.2005 के आदेश द्वारा प्रत्याहृति करने से कोई वादहेतुक उत्पन्न हुआ?

(2) पंजाब सिंचाई विभाग (ग्रुप-ए) सेवानियम, 1941 या पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 2004, जो 9.7.2004 से प्रवर्तन में है, दोनों में से 2000-01 के दौरान पुराने 1941 के नियम से उद्भव हुयी रिक्तियों तथा एस.डी.ओ. के पद पर पंजाब राज्य में पदोन्नति पर कौनसे नियम लागू होंगे।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता (उत्कृष्ट श्रेणी) को एस.डी.ओ. के पद पर वर्तमान कर्तव्य प्रभार (सीडीसी) देने से एस.डी.ओ. की पद पर नियमित होते ऐसा कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ मात्र अक्षम्य अधिकार से बहुत ही न्यून अधिकार अर्जित

हुआ है। यह विशुद्ध रूप से एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, जो न तो वरिष्ठता और न ही दक्षता पर आधारित थी और दिनांकित 22.6.2005 आदेश द्वारा इसे वापस लेने से कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। [पैरा 15] [15-जी-एच]

रमाकांत श्रीपद सिनाई अडवलपालकर बनाम भारत संघ, [1991] सप्ली. 2 एस. सी. सी. 733 और हरियाणा राज्य बनाम एस. एम. शर्मा, [1993] सप्ली. 3 एस. सी. सी. 252, आश्रित पर।

2.1 पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 1941 पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 2004 द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। नए नियमों द्वारा 1941 के नियमों को निरस्त करने का यह कारण प्रकट होता है। यह कि पुराने नियमों के तहत डिप्लोमा धारकों के लिए पदोन्नति का कोई माध्यम नहीं था। एकमात्र प्रावधान जिस पर डिप्लोमा धारकों को साथ रखा जा सकता था, वह नियम 5 का परन्तुक था जो नियमों में ढील देने से संबंधित है। [पैरा 17] [16-सी-डी]

2.2 अब 2004 के नियमों के तहत डिप्लोमा धारक 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटा में से 25 प्रतिशत के हकदार हैं। 2004 के नए नियमों द्वारा उत्कृष्ट योग्यता के मानदंडों को भी समाप्त कर दिया गया है और अब पदोन्नति के लिए लागू मानदंड वरिष्ठता-सह-योग्यता है। [पैरा 17] [16-एफ]

3. 1941 के नियमों में डिप्लोमा धारकों के लिए पदोन्नति कोटा का कोई प्रावधान नहीं था। इसके विपरीत नियम 5 के परन्तुक में नियमों में शिथिलता डिप्लोमा धारकों के लिए उत्कृष्ट योग्यता की सीमा तक प्रदान की गयी। उत्कृष्ट योग्यता श्रेणी को 2004 के नए नियमों द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 2004 के नियमों में

डिप्लोमा धारक 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में से 25 प्रतिशत के हकदार हैं। [पैरा 19] [17-ई-एफ]

4. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि सरकार ने विभिन्न तिथियों पर उत्कृष्ट योग्यता वाले उम्मीदवारों की श्रेणी के लिए डी. पी. सी. का भी गठन किया था। इन सभी दिनों में, हालांकि तारीख तय की गई थी, लेकिन कोई डीपीसी आयोजित नहीं की गई थी। यह भी इंगित करता है कि सरकार 2004 के आसन्न नए नियमों को ध्यान में रख रही थी। [पैरा 23] [18-एफ]

डॉ. के. रामुलु बनाम डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव, [1997] 3 एस. सी. सी. 59, पर भरोसा किया।

5. जिस तरह से उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों के प्रमाण पत्र डिप्लोमा धारकों द्वारा प्राप्त किये गये है यह गंभीर चिंता का विषय है। विवादित आदेश में इसका खुलासा किया गया कि उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों के प्रमाण पत्र एस. डी. ओ. के पद का सी. डी. सी. प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियरों द्वारा छेड़छाड़/मंच प्रबंधन और हेरफेर करके प्राप्त किए गए थे। इससे उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। यह भी प्रकट किया कि राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा भी एक जांच दर्ज की गई थी। भूसो से लाभ निकालना बेहद मुश्किल पाया गया। यह उन कारणों में से एक है जिसने 1941 के नियमों के तहत पद को नहीं भरने के लिए एक सचेत निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण को राजी किया। [पैरा 28] [20-ई-एफ]

6. कानून के इस कथन पर कोई विवाद नहीं है कि सामान्य नियम है कि नए नियमों से पहले की रिक्ति, पुराने नियमों द्वारा शासित होगी न कि नए नियमों द्वारा। हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान

मामले में, यह पहले ही माना जा चुका है कि सरकार ने पुराने नियमों के तहत रिक्तियों को नहीं भरने का एक सचेत निर्णय लिया है और इस तरह का निर्णय वैध रूप से लिया गया है। [पैरा 30] [21-सी]

सुभाष चंद्र शर्मा बनाम पंजाब राज्य, [1999] 5 एस. सी. सी 171; जे. एन. गोयल बनाम भारत संघ [1997] 2 एस. सी. सी. 440; वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव, [1983] 3 एससीसी 284; पी. गणेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य, [1988] सप्ली. एससीसी 740; बी. एल. गुप्ता बनाम एम. सी. डी., [1988] 9 एस. सी. सी. 233; पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य, [1990]1 एस. सी. सी. 411, ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक, [1983] 3 एस. सी. सी. 33 और एन. टी. देवीन कट्टी बनाम केपीएससी, [1990] 3 एससीसी 157, लागू नहीं हुआ।

7. यह माना जाता है कि सरकार ने एक सचेत निर्णय लिया है कि पुराने 1941 के नियमों के तहत पदों को नहीं भरें। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। ऐसा लगता है कि जनहित के लिए हानिकारक सरकार के निष्क्रिय/लापरवाह दृष्टिकोण से समस्या और बढ़ गई है। राज्य सरकार अब इस निर्णय की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर 2004 के नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरेगी। 2004 के नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। [पैरा 38] [23-एफ-जी]

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 2336/2007

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9715, 19716, 9724, 11890, 12638, 12696, 13375, 13281, 13288 और 2005 का

13599 के साथ सी. ए. सं. 2337 & 2338/2007 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.10.2005 से।

सरूप सिंह, एल. नागेश्वर राव, डॉ. राजीव धवन, एन. सी. जैन, पी. एस. पटवालिया और राजीव दत्ता, आर. के. पांडे, कुलदिप सिंह, संजय कत्याल, टी. पी. मिश्रा, महालक्ष्मी पवनी, जी. बालाजी (मेसर्स के लिए)। महालक्ष्मी बालाजी एंड कंपनी), उपस्थित पक्षों के लिए अमिता गुप्ता, दीपक सिब्बल, एजाज मकबूल, विकास सिंह, तरुणा सिंह, अभिजीत सिन्हा, मनिंदर सिंह, प्रतिभा, विवेक चिब, सुमित भाटिया, गौरव शर्मा, शिखा रे, बी. वी. दीपक, इरशाद अहमद, अशोक के. महाजन और अरुण के. सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति एच. के. सेमा,

1. अनुमति दी गई।

2. उपरोक्त सभी अपीलें, दिनांक 18.10.2005 के पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश द्वारा एक सामान्य आदेश द्वारा सभी रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

3. हालाकि इन अपीलों की सुनवाई ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, काफी समय तक चले और कई दिनों तक चले तर्कों ने हल किए जाने वाले विवाद को एक संकीर्ण यंत्र में विराजमान किया है।

4. हमने पक्षकारों को विस्तार से सुना है।

5. निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुख्य प्रश्न ये हैंः -

(1) क्या डिप्लोमा धारकों (उत्कृष्ट श्रेणी) को दिनांक 21.06.2001 के आदेश से वर्तमान कर्तव्य प्रभार दिये जाने से एस.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति का कोई अधिकार प्राप्त हुआ और क्या उक्त आदेश को दिनांक 22.06.2005 के आदेश द्वारा प्रत्याहित करने से कोई वादहेतुक उत्पन्न हुआ?

(2) पंजाब सिंचाई विभाग (ग्रुप-ए) सेवानियम, 1941 या पंजाब सिंचाई विभाग (समूह-ए) सेवा नियम, 2004, जो 9.7.2004 से प्रवर्तन में है, दोनों में से 2000-01 के दौरान पुराने 1941 के नियम से उद्भव हुयी रिक्तियों तथा एस.डी.ओ. के पद पर पंजाब राज्य में पदोन्नति पर कौनसे नियम लागू होंगे।

6. उत्तरदाता डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियर थे। एक आदेश से दिनांक 21.6.2001,20 जूनियर इंजीनियर्स डिप्लोमा-धारक (उत्कृष्ट श्रेणी) को वर्तमान कर्तव्य का दायित्व दिया गया था कि वह एस.डी.ओ. का कार्यभार देखें। वर्तमान दायित्व 1941 के नियम के उपनियम 5 के अधीन दिया गया था। उनके पास उपनियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं थी। उक्त उपनियम का उपयोग सरकार द्वारा 1941 के नियम 19 के अधीन किया था।

7. सीडीसी / देखभाल का प्रभार निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया गया था:

(ए) यह सीडीसी/देखभाल प्रभार कार्मिक विभाग, पंजाब द्वारा पत्र संख्या 4/2/2001-3पीपी.1/3318 दिनांक 15 मार्च, 2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दी जाने वाली मंजूरी के आधार पर होगा।

(बी) यह प्रभार अधिकारी के मौजूदा वेतनमान में अस्थायी है और इसे बिना किसी पूर्व सूचना के वापस लिया जा सकता है और अधिकारी इसके आधार पर वरिष्ठता आदि का दावा नहीं कर सकता है।

(सी) इस सीडीसी/देखभाल प्रभार के आधार पर अधिकारी पी.ई.एस. के नियम 3(1)(सी) के प्रावधानों के तहत पदोन्नति के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। कक्षा 2 नियम, 1941.

(डी) यह सीडीसी/देखभाल प्रभार विभिन्न मामलों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के अधीन होगा।

8. सीडीसी को बाद में 22.6.2005 के एक आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था, जिसे डिप्लोमा धारकों (उत्कृष्ट श्रेणी) ने विभिन्न रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी थी। सीडीसी को वापस लेने के निर्णय का समर्थन करते हुए कई आधार बताए गए। एक चौंकाने वाला आधार जिसे हम उद्धृत करने के लिए उत्सुक हैं, वह इस प्रकार है:

> "जबकि जूनियर इंजीनियर द्वारा एस.डी.ओ. के पद का करंट ड्यूटी चार्ज प्राप्त करने के लिए जूनियर इंजीनियरों द्वारा बकाया रिपोर्टों को टैंपरिंग/स्टेज-मैनेज करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो पंजाब द्वारा नियमित जांच संख्या 28/2002 दर्ज की गई थी और यह अभी भी जांच के अधीन है।"

9. इस स्तर पर, हम डिप्लोमा धारकों (गैर उत्कृष्ट श्रेणी) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेश्वर राव के तर्कों में से एक को इंगित कर सकते हैं कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए डिप्लोमा धारक उत्कृष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों से वरिष्ठ हैं। वे भी अधिक मेधावी हैं लेकिन उन्हें उत्कृष्टता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। बताए गए कारणों के पीछे, जो हमने ऊपर देखा है, श्री राव के तर्क में कुछ दम नजर आता है।

10. दिनांक 22.6.2005 के आदेश में सीडीसी को वापस लेने का समर्थन करने वाला दूसरा आधार, जो हमारे विचार में वर्तमान विवाद को हल करने के लिए प्रासंगिक होगा, निम्नलिखित शर्तों में है:

> "जबकि, सरकार ने 30.4.2004 को पंजाब सिंचाई विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2004 को अधिसूचित किया है और प्रावधानों के तहत डी.पी.सी. आयोजित करके जूनियर इंजीनियरों के बीच से नियमित आधार पर एस.डी.ओ. के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। नए नियम, 2004 का पूर्वोक्त.
>
> अब, इसलिए, ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब नए विभागीय सेवा नियम, 2004 अधिसूचित किए गए हैं और सरकार। वर्तमान ड्यूटी चार्ज देने के लिए 19.04.2005 को नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और एस.डी.ओ. के रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। नियमित आधार पर डी.पी.सी. धारण करके। एस.डी.ओ. के पद पर वर्तमान ड्यूटी प्रभार की निरंतरता उपरोक्त 20 जूनियर इंजीनियरों द्वारा किया गया यह कदम जनहित में नहीं है, पंजाब सरकार एस.डी.ओ. के पद से वर्तमान ड्यूटी चार्ज वापस लेने की कृपा कर रही है। इन उपर्युक्त 20 कनिष्ठ अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और ये 20 कनिष्ठ अभियंता अपने मूल पद पर कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम करते रहेंगे।"

(दिया गया)

11. यह उल्लेख करना उचित होगा कि उत्तरदाताओं/रिट याचिकाकर्ताओं ने भी 2004 के नियमों को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया। उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि रिक्तियां 1941 के नियमों के तहत निकली हैं, इसलिए इसे 1941 के नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.6.2005 के आदेश को रद्द कर दिया और सरकार को 1.10.1999, 29.12.2000 और 25.9.2003 को जारी सरकारी निर्देशों के तहत पद भरने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 31.3.2001 से पहले की रिक्तियों को 1941 नियमों के संदर्भ में उत्कृष्ट योग्यता के निर्धारण के लिए दिनांक 1.10.1999 और 29.12.2000 के निर्देशों द्वारा इंगित मानदंडों का पालन करके भरा जाएगा।

12. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्थापित कानून को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

13. बहुलता से बचने के लिए, इस न्यायालय ने रमाकांत श्रीपाद सिनाई अडवलपालकर बनाम भारत संघ, 1991 सप्ली. (2) एससीसी 733 के मामले में पैराग्राफ 5 में निम्नानुसार व्यवस्था दी:

> "इस आदेश में विचार की गई व्यवस्था स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को कोषाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति के समान नहीं है। ऐसी स्थिति के बीच अंतर जहां एक सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और जहां उसे केवल कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है उच्च पद इतना स्पष्ट है कि किसी भी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। एक अधिकारी जो मूल रूप से निचले पद पर है, उसे केवल उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहना पदोन्नति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामले में उसे

उच्च पद का वेतन नहीं मिलता है। लेकिन उसे केवल वही मिलता है जिसे सेवा की भाषा में "प्रभार भत्ता" कहा जाता है। ऐसी स्थितियों पर विचार किया जाता है जहां सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं के लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है और यहां तक कि वरिष्ठता का विचार भी इसमें शामिल नहीं होता है। व्यक्ति अपने वास्तविक निचले पद पर बना रहता है और केवल उच्च पद के कर्तव्यों का अनिवार्य रूप से एक स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में निर्वहन करता है"

14. हरियाणा राज्य बनाम एस.एम. शर्मा 1993 सप्लिमेंट (3) एससीसी 252 के मामले में, इसी प्रश्न पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने पैराग्राफ 11 और 12 में निम्नानुसार कहा: -

"11. शर्मा को मुख्य के आदेश के तहत कार्यकारी अभियंता के पद का वर्तमान कर्तव्य प्रभार दिया गया था प्रशासक और उक्त आरोप भी उसी प्राधिकारी द्वारा वापस ले लिया गया था। हम पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत कर चुके हैं। सामान्य नियम के नियम 4(2) एवं सेवा नियम के नियम 13। हमारा विचार है कि मुख्य प्रशासक, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 13 जून, 1991 और 6 जनवरी, 1992 को दो आदेश जारी करने की अपनी शक्तियों के भीतर थे।"

12. हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार को तुच्छता तक बढ़ा दिया। किसी को भी वर्तमान शुल्क शुल्क मांगने या उस पर टिके रहने का अधिकार नहीं है। आक्षेपित आदेश से शर्मा को कोई वित्तीय हानि या किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं

हुआ। उनके पास उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। यह अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग था।"

15. तदनुसार, हम ऐसा कोई अधिकार नहीं रखते हैं, एस.डी.ओ. के पद पर सीडीसी देने के आधार पर डिप्लोमा-धारक कनिष्ठ अभियंताओं (उत्कृष्ट श्रेणी) को कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पद पर नियमितीकरण हेतु। यह पूरी तरह से एक स्टॉपगैप व्यवस्था थी, जो न तो वरिष्ठता और न ही दक्षता पर आधारित थी और दिनांक 22.6.2005 के आदेश द्वारा इसे वापस लेने से कोई कार्रवाई का कारण नहीं बनता है।

16. हालाँकि अब तक, यह एक अकादमिक प्रश्न बन गया है, क्योंकि, हमारे अंतरिम आदेश के मद्देनजर कोई भी वर्तमान शुल्क प्रभार नहीं संभाल रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए नियम अर्थात् 2004 के नियम अब लागू हो गए हैं और वहाँ है बकाया श्रेणी के लिए नए नियमों में कोई प्रावधान नहीं। जो भी हो, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं और 22.6.2005 के आदेश को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

चाहे पुराने 1941 नियम हों या 9.7.2004 से प्रभावी हुए नए 2004 नियम, पंजाब राज्य में एसडीओ (सिंचाई विभाग) के पदों पर पदोन्नति के लिए पुराने 1941 नियमों के तहत 2000-01 के दौरान उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए लागू किए जाएंगे।

17. 1941 के नियमों को 2004 के नियमों द्वारा निरस्त कर दिया गया। नए नियमों द्वारा 1941 के नियमों को निरस्त करने का कारण यह प्रतीत होता है कि

पुराने नियमों के तहत डिप्लोमा धारकों के लिए पदोन्नति का कोई माध्यम नहीं था। एकमात्र प्रावधान जिस पर डिप्लोमा धारकों को समायोजित किया जा सकता था वह नियम 5 का प्रावधान था, जो नियमों में छूट से संबंधित है। नियम 5 के परंतुक में लिखा है:

> "बशर्ते कि ओवरसीज़ इंजीनियरिंग सेवा या सिंचाई शाखा, पंजाब या सिंचाई शाखा (प्रांतीय ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर्स) सेवा के 'उत्कृष्ट योग्यता' के सदस्य की पदोन्नति को स्वीकार करने के लिए मुख्य अभियंता की सिफारिशों पर सरकार द्वारा इस नियम में ढील दी जा सकती है। जिनके पास नियम 3 में निर्दिष्ट योग्यताएं नहीं हो सकती हैं।"

(जोर दिया गया)

अब 2004 के नियमों के तहत डिप्लोमा धारक 40% प्रमोशनल कोटा में से 25% के हकदार हैं। 2004 के नए नियमों द्वारा उत्कृष्ट योग्यता के मानदंड को भी हटा दिया गया है और अब पदोन्नति के लिए लागू मानदंड वरिष्ठता-सह-योग्यता है। श्री राव ने वरिष्ठ वकील का तर्क दिया कि उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार ने 2004 के नए नियम लाए हैं, जो 9.7.2004 से प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 1941 के नियमों में संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन 2004 के नियमों द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया गया था और इसलिए 1941 के नियमों के तहत जारी किए गए कार्यकारी निर्देश टिके नहीं रहते हैं। उन्होंने हमारा ध्यान 2004 के नियम 10 की ओर आकर्षित किया है, जो निरसन और बचत से संबंधित है। नियम 10 को विस्तार से पुन: प्रस्तुत किया गया है:

10. निरसन और बचत. पंजाब इंजीनियर्स सेवा वर्ग-2, (सिंचाई शाखा) नियम, 1941 और पंजाब इंजीनियर्स सेवा वर्ग-1, पी.डब्ल्यू.डी. (सिंचाई शाखा नियम, 1964, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है:

बशर्ते कि जारी किए गए किसी भी आदेश या इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत जारी या की गई मानी जाएगी।"

तदनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि 1941 नियम अस्तित्व में नहीं हैं और 1941 नियमों के तहत जारी निर्देश नियमों के साथ विलुप्त हो गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 2004 के नियमों के अनुसार नए पद सृजित किए गए और उन पदों को 2004 के नियमों के अनुसार भरने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरकार द्वारा नए नियमों के तहत रिक्तियों को भरने के लिए सचेत निर्णय लिया गया है और इसलिए, 1941 नियमों के तहत रिक्तियों को भरने का निर्देश देने में उच्च न्यायालय गलत था, जो अस्तित्व में नहीं थे।

18. इसके विपरीत डॉ. धवन ने तर्क दिया कि 2000-01 के दौरान 1941 नियमों के तहत रिक्तियां निकलीं और इसलिए, इन्हें 1941 नियमों के तहत भरा जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 1941 नियमों के तहत उत्पन्न रिक्तियों को 1.10.1999, 29.12.2000 और 25.9.2003 को जारी निर्देशों के अनुसार भरा जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरकार द्वारा कोई सचेत निर्णय नहीं लिया गया। उनके अनुसार, ऐसा सचेत निर्णय, यदि कोई हो, विचार-विमर्श पर आधारित होना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरकार का सचेत निर्णय, यदि कोई हो, नियमों को अस्थिर नहीं कर सकता है।

क्या नए नियमों के तहत रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा कोई सचेत निर्णय लिया गया था ?

19. हमने पहले ही देखा है कि 1941 के नियमों में डिप्लोमा धारकों के लिए पदोन्नति कोटा का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बजाय, नियम 5 के प्रावधान के तहत डिप्लोमा धारकों के लिए उत्कृष्ट योग्यता की सीमा तक नियमों में छूट प्रदान की गई। 2004 के नए नियमों द्वारा उत्कृष्ट योग्यता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। 2004 के नियमों में, डिप्लोमा धारक 40% प्रमोशनल कोटा में से 25% के हकदार हैं।

20. हालांकि यह सच है कि विचार-विमर्श के आधार पर कोई निश्चित निर्णय नहीं निकला है, अधिकारियों की मंशा विभिन्न पृष्ठभूमि और परिस्थितियों से जुटाई जा सकती है।

21. जैसा कि 22.6.2005 के वापसी आदेश में पहले ही उल्लेख किया गया है, सीडीसी को वापस लेने के लिए बताए गए कारणों में से एक, पुनरावृत्ति के जोखिम पर निम्नानुसार था:

> "जबकि, सरकार ने 30.4.2004 को पंजाब सिंचाई विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2004 को अधिसूचित किया है और प्रावधानों के तहत डी.पी.सी. आयोजित करके जूनियर इंजीनियरों के बीच से नियमित आधार पर एस.डी.ओ. के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। नए नियम, 2004 का पूर्वोक्त.

22.1999 की सिविल रिट याचिका संख्या 11644 सतबीर सिंह (एएमआईई होल्डर) द्वारा दायर की गई थी जिसमें उनकी श्रेणी के लिए पदोन्नति कोटा का 31% आवंटित करने के लिए एक परमादेश की प्रार्थना की गई थी। जवाबी हलफनामा श्री

समीर कुमार आईएएस द्वारा 31.5.2000 को सिविल विविध संख्या 10810/2000 में सिविल रिट पिटीशन नं.11644/1999 में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।

1. सरकार पीएसई क्लास II नियम 1941 और 3 मुख्य अभियंताओं की समिति अर्थात श्री पी.के. में संशोधन करने पर विचार कर रही है। सिंगला, मुख्य अभियंता, नहरें आईडब्ल्यू, पंजाब, श्री सरूप सिंह, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, पटियाला और श्री जतिंदर सिंह, मुख्य अभियंता/सार्वजनिक स्वास्थ्य, पटियाला को विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा तय करने और उसके कारण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गठित किया गया है। पीएसई कक्षा 1 के नियमों में संशोधन करके इसे शामिल किया गया।

2. एसडीओ के पदों पर नियमित पदोन्नति पर प्रारंभिक आपत्ति के पैरा 3 में बताए अनुसार विभागीय सेवा नियमों को अंतिम रूप देने/संशोधन करने के बाद विचार किया जाएगा।

3. इस स्तर पर एसडीओ की नियमित पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार प्रारंभिक आपत्तियों में बताए गए अनुसार विभागीय सेवा नियमों में संशोधन/अंतिम रूप देने पर विचार कर रही है।"

23. रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने मार्च, 2001, 30 अप्रैल, 2001, 8 नवंबर, 2001, 21 नवंबर 2001, 9 जनवरी 2002 और 29 मई, 2002 को विभिन्न तिथियों पर उत्कृष्ट योग्यता वाले उम्मीदवारों की श्रेणी के लिए डीपीसी का गठन किया। इन सभी दिनों में तारीख तो तय हो गई लेकिन डीपीसी नहीं हुई। इससे यह भी संकेत मिलेगा कि सरकार 2004 के आने वाले नये नियमों को ध्यान में रख रही है।

24. इसलिए, श्री राव ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा 1941 के नियमों के तहत पदों को न भरने का सचेत निर्णय लिया गया था। इसलिए, सरकार द्वारा लिए गए सचेत निर्णय के मद्देनजर, सरकार ने एसडीओ के पद पर पदोन्नति के लिए कोई डीपीसी आयोजित नहीं की। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने हमारा ध्यान डॉ. के. रामुलु बनाम डॉ. एस.सूर्यप्रकाश राव, (1997) 3 एससीसी 59 में इस न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया है। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने आसन्न नए नियमों के मद्देनजर पद न भरने के सरकार के सचेत निर्णय को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने अंततः एससीसी पृष्ठ 67 के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

> "15. इस प्रकार, हम मानते हैं कि पहले प्रतिवादी ने सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के मद्देनजर निरस्त नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार हासिल नहीं किया है, जो हमें रिकॉर्ड से उपलब्ध सामग्री के आधार पर उचित लगता है। हमारे सामने रखा गया। हम मानते हैं कि ट्रिब्यूनल ने सरकार को निरस्त नियमों के अनुसार पशुपालन विभाग के सहायक निदेशकों के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल तैयार करने और उसे संचालित करने का निर्देश देने में सही और सही नहीं था।"

25. डॉ.धवन ने तर्क दिया कि उत्कृष्ट योग्यता एक वैध मानदंड है। इस संबंध में, उन्होंने पैरा 7 पर सुभाष चंदर शर्मा बनाम पंजाब राज्य, (1999) 5 एससीसी 171 का उल्लेख किया है:

> "उपरोक्त दोनों निर्णय सीधे तौर पर उन नियमों से संबंधित नहीं थे जिनके साथ हम इन अपीलों में चिंतित हैं। नियम 5, जैसा कि कहा

गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी का दूसरा प्रावधान लागू करने का इरादा है कि एक अस्थायी इंजीनियर / ओवरसियर द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नत होने से पहले उसे अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा। अंतिम प्रावधान का उद्देश्य सरकार को संदर्भित व्यक्तियों के वर्ग के मामले में दूसरे प्रावधान में उल्लिखित अन्य शर्तों को शिथिल करने में सक्षम बनाना नहीं हो सकता है। अंतिम परंतुक में। ओवरसियर इंजीनियरिंग सेवा या ड्राफ्ट्समैन और ट्रैसर सेवा के किसी सदस्य की उत्कृष्ट योग्यता स्पष्ट रूप से तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी जब तक कि उसने कम से कम दो साल की निरंतर सेवा पूरी न कर ली हो। इसी प्रकार उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से घोषित किया जा सकता था। मुख्य अभियंता की रिपोर्ट पर आयोग को सेवा के लिए उपयुक्त माना गया और इसलिए, ऐसी शर्तों में छूट के लिए विशेष प्रावधान करने का शायद ही कोई मतलब था। यह विश्वास करना भी संभव नहीं है कि उक्त परंतुक आयु की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना मुश्किल नहीं होगा और इसलिए, यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अंतिम प्रावधान उस शर्त की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

26. उन्होंने जे.एन. गोयल बनाम भारत संघ (1997) 2 एससीसी 440 पैरा 14 का भी उल्लेख किया है। पर:

"अब हम नियम 21(3) के प्रावधान पर आ सकते हैं जिसे 1972 में शामिल किया गया था। जैसा कि पहले देखा गया है, प्रावधान कार्यकारी अभियंताओं और एक सहायक अभियंता के कैडर में सहायक अभियंताओं की पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता के मामले में छूट की अनुमति देता है। किसी भी स्नातक को पदोन्नत नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसके पास "उत्कृष्ट योग्यता और रिकॉर्ड" हो। परंतुक द्वारा निर्धारित "उत्कृष्ट क्षमता और रिकॉर्ड" के उक्त मानदंड को अस्पष्ट या मनमाना नहीं माना जा सकता है। सेवा न्यायशास्त्र में "उत्कृष्ट योग्यता" एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है योग्यता के आधार पर चयन पद पर पदोन्नति की अवधारणा। उत्कृष्ट योग्यता का ऐसा मूल्यांकन डीपीसी द्वारा कर्मचारी के प्रदर्शन के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम 21(3) का प्रावधान) जिसने एक डिप्लोमा-धारक सहायक अभियंता को कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत करने में सक्षम बनाया, यदि उसके पास "उत्कृष्ट क्षमता और रिकॉर्ड" था, तो वह मनमानी के दोष से ग्रस्त था।"

27. हमारे विचार में, डॉ. धवन द्वारा संदर्भित इस न्यायालय के निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं।

28. जिस तरीके से डिप्लोमा धारकों (यहां उत्तरदाताओं) द्वारा उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए, उससे हम गंभीर रूप से चिंतित हैं। 22 जून, 2005 के आक्षेपित आदेश में यह खुलासा किया गया है कि एस.डी.ओ. के पद की सीडीसी प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियरों द्वारा टेम्परिंग/स्टेज

प्रबंधन और हेराफेरी करके उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे। इससे उनकी उत्कृष्ट योग्यता श्रेणियों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। यह भी खुलासा हुआ है कि जांच नंबर 28/2002 भी विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब द्वारा दर्ज किया गया था। हमें भूसी से अनाज छांटने में बहुत कठिनाई हो रही थी। यह उन कारणों में से एक है जिसने 1941 के नियमों के तहत पद को न भरने का सचेत निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को राजी किया।

29. डॉ.धवन ने यह भी तर्क दिया कि रिक्तियों को समसामयिक नियमों के अनुसार भरा जाना है। इस संबंध में उन्होंने वाई.वी. रंगैया बनाम जे.श्रीनिवास राव, (1983) 3 एससीसी 284 पैरा 9 का हवाला दिया है।

> "पुराने नियमों के तहत हर साल सितंबर में एक पैनल तैयार करना पड़ता था। तदनुसार, वर्ष 1976 में एक पैनल तैयार किया जाना चाहिए था और सब-रजिस्ट्रार ग्रेड II के पद पर स्थानांतरण या पदोन्नति उस पैनल से की जानी चाहिए थी। उस स्थिति में दो अभ्यावेदन याचिकाओं में याचिकाकर्ता जो उत्तरदाताओं 3 से 15 तक उच्च रैंक पर थे, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया होगा। संशोधित नियमों से पहले होने वाली रिक्तियां पुराने नियमों से संचालित होंगी न कि संशोधित नियमों से। दोनों पक्षों के वकील ने स्वीकार किया कि अब से सब-रजिस्ट्रार ग्रेड II के पद पर पदोन्नति जोनल आधार पर नए नियमों के अनुसार होगी, न कि राज्य-वार आधार पर और इसलिए, चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है। नए नियम. लेकिन सवाल संशोधित नियमों से पहले हुई रिक्तियों को भरने का है. हमें इस बात में तनिक

भी संदेह नहीं है कि संशोधित नियमों से पहले जो पद रिक्त थे वे पुराने नियमों से शासित होंगे न कि नये नियमों से।”

30. कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि नए नियमों से पहले की रिक्तियां पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि नए नियमों द्वारा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पहले ही मान चुके हैं कि सरकार ने पुराने नियमों के तहत रिक्ति को न भरने का सचेत निर्णय लिया है और ऐसा निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैध रूप से लिया गया है।

31. डॉ.धवन ने पी.गणेश्वर राव बनाम स्टेट ऑफ ए.पी. (1988) सप्लीमेंट एससीसी 740 पैरा 11 का भी उल्लेख किया है।

"पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल द्वारा की गई टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रभाव वाली हैं, अर्थात्:

इस मामले में भर्ती के नियमों को 28 अप्रैल, 1980 को बदल दिया गया है। इसलिए, प्रथम दृष्टया अस्थायी रिक्तियों के खिलाफ सीधी भर्ती करना कानूनी नहीं होगा, भले ही रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पूर्व तिथि पर हों। इन परिस्थितियों में, मेरी राय में, 28 अप्रैल, 1980 के बाद यानी जिस तारीख को नियमों में संशोधन किया गया था, उसके बाद अस्थायी रिक्तियों के खिलाफ सीधी भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

अस्थिर हैं. हमारा मानना है कि 28 अप्रैल, 1980 को किया गया संशोधन उन रिक्तियों पर लागू नहीं होता है जो संशोधन की तारीख से पहले उत्पन्न हुई थीं।"

32. उन्होंने बी.एल. गुप्ता बनाम एम.सी.डी., (1988) 9 एससीसी 223 पैरा 9 का भी उल्लेख किया है:

"जब 1978 में वैधानिक नियम बनाए गए थे, तो रिक्तियों को केवल उक्त नियमों के अनुसार भरा जाना था। 1995 के नियमों को उच्च न्यायालय ने संभावित माना है और हमारी राय में यह सही निष्कर्ष था। यह है इसलिए, सवाल यह उठता है कि क्या 1995 से पहले निकली रिक्तियों को 1995 के नियमों के अनुसार दाखिल किया जा सकता है। हमारा ध्यान श्री मेहता ने एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया है। लोक सेवा आयोग। उस मामले में वाई.वी. रंगैया बनाम जे.श्रीनिवास राव, पी. गणेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और ए.ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक के मामलों में पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि नियमों में संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियां पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि संशोधित नियमों द्वारा। हालांकि उच्च न्यायालय ने इन निर्णयों का उल्लेख किया है, लेकिन जिन कारणों को आसानी से समझा नहीं जा सकता है, उनकी प्रयोज्यता केवल 79 तक ही सीमित थी, न कि 171 रिक्तियों तक, जो कि अस्तित्व में थीं।

33. उन्होंने आगे कहा कि असंशोधित नियमों के तहत पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों को बाद के संशोधन द्वारा नहीं छीना जा सकता है। इस संबंध में, उन्होंने पैरा 5 पर पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य, (1990) 1 एससीसी 411 का हवाला दिया।

"चूंकि संशोधित नियम पूर्वव्यापी नहीं थे, इसलिए यह उन उम्मीदवारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता था जो पद के लिए

आवेदन करने की तिथि पर चयन और नियुक्ति के लिए योग्य थे, इसके अलावा जब संशोधित नियम लागू हुए तो चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। बलपूर्वक, संशोधित नियम उन उम्मीदवारों के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं जिन्हें चयन के लिए विचार किया जा रहा था क्योंकि उनके पास संशोधन से पहले नियमों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं थीं, इसके अलावा अनावश्यक कठिनाइयों से बचने के लिए संशोधित नियमों का निर्माण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। जिनका विषय वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं है।"

34. उन्होंने आगे तर्क दिया कि संशोधन के बाद के मामलों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति उन मामलों तक ही सीमित है। पैरा 5 में एए कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक, (1983) 3 एससीसी 33 का संदर्भ दिया गया है:

"हालांकि वर्तमान मामले में निदेशक ने उस शक्ति का प्रयोग 18 अगस्त, 1975 के बाद किया, जिस तारीख को संशोधन लागू हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा किया गया चयन अवैध था क्योंकि संशोधन कानून का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था। ऐसा नहीं हुआ 18 अगस्त, 1975 से पहले शुरू हुई कार्यवाही पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कार्यवाही को कानून के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उक्त कार्यवाही के प्रारंभ में था। इसलिए, हमें इस विवाद में कोई तथ्य नहीं मिला अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि वर्तमान मामले में यूपी अधिनियम 26 1975 द्वारा संशोधित कानून का पालन किया जाना चाहिए था।"

35. ऊपर उल्लिखित सभी निर्णय नियमों में संशोधन से संबंधित हैं। हम पहले ही मान चुके हैं कि 1941 के नियमों को 2004 के नियमों द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसलिए, उन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

36. डॉ. धवन ने आगे तर्क दिया कि डिप्लोमा धारक उत्कृष्ट योग्यता वाले उम्मीदवारों के पास 1941 के नियमों के तहत निहित अधिकार हैं और नए नियमों के तहत अधिकार सुरक्षित हैं और 2004 के नियमों द्वारा निरस्त नहीं किए गए हैं। पैरा 11 में एन.टी.डेविन कट्टी बनाम केपीएससी, (1990) 3 एससीसी 157 का संदर्भ दिया गया है:

> "कोई भ्रम न हो, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक उम्मीदवार एक विज्ञापन के अनुसार एक पद के लिए आवेदन करता है। चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है, लेकिन यदि वह पात्र है और विज्ञापन में निहित प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार अन्यथा योग्य है, तो वह चयन के लिए विचार किए जाने का निहित अधिकार प्राप्त करता है, जो कि मौजूदा नियमों के अनुसार है। विज्ञापन की तिथि पर। चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों में संशोधन के उस सीमित अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि संशोधित नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के न हों।"

(जोर दिया गया)

37. हमारे द्वारा लिए गए इन निर्णयों से उत्कृष्ट श्रेणी के डिप्लोमा धारकों को कोई सहायता नहीं मिलेगी।

38. हमारा मानना है कि सरकार ने पुराने 1941 नियमों के तहत पदों को न भरने का सचेत निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। इस स्तर पर हम यह बता सकते हैं कि समस्या सरकार की निष्क्रियता/आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण बढ़ी है जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। राज्य सरकार अब रिक्त पदों को 2004 की नियमावली के अनुसार आज से तीन माह की अवधि के भीतर भरेगी। 2004 के नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। सिफ़ारिश और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया आज से तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी.

39. उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी परिणय जोशी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***